न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 678 सन 2020
अनवान :–

1. जीरासिह पुत्र नाथीसिह जाति बाजीगर निवासी मसाना तहसील टी.बी. हाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 19/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 102/275 की कुल 2.5290हैक व खाता संख्या 242/248 की कुल 27.9240हैक में से 458/6981 हिस्सा व खाता संख्या 292/309 की कुल 22.8270हैक में से 3047/22827 हिस्सा भूमि वादी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी जीराजसिह पुत्र नार्थीसिह , डुगरसिह पुत्र नाथासिह , दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह दर्ज है राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज है

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर जीराज सिह पुत्र नाथीसिह एवं डुगरसिह पुत्र नथासिह के स्थान पर जीरासिह पुत्र नाथीसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शमिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 102/275 की कुल 2.5290हैक व खाता संख्या 242/248 की कुल 27.9240हैक में से 458/6981 हिस्सा व खाता संख्या 292/309 की कुल 22.8270हैक में से 3047/22827 हिस्सा भूमि वादी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी जीराजसिह पुत्र नार्थीसिह , डुगरसिह पुत्र नाथासिह , दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 102/275 की कुल 2.5290हैक्ट व खाता संख्या 242/248 की कुल 27.9240हैक्ट में से 458/6981 हिस्सा व खाता संख्या 292/309 की कुल 22.8270हैक्ट में से 3047/22827 हिस्सा भूमि वादी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय जीरासिह पुत्र नाथीसिह के स्थान पर जीराजसिह पुत्र नाथीसिह , डुगरसिह पुत्र नथसिह दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह दर्ज है वादी ने अपने नाम के सम्बध में सरंपच ग्राम पंचायत निमला की तस्दीक पेश की गई है दस्तावेजात/तस्दीक से वादी का नाम जीरासिह पुत्र नाथीसिह होना प्रतीत होता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 102/275 की कुल 2.5290हैक्ट व खाता संख्या 242/248 की कुल 27.9240हैक्ट में से 458/6981 हिस्सा व खाता संख्या 292/309 की कुल 22.8270हैक्ट में से 3047/22827 हिस्सा भूमि में वादी का नाम जीराजसिह पुत्र नाथीसिह , डुगरसिह पुत्र नथासिह , डुगरसिह पुत्र नत्थसिह अंकित है के स्थान पर जीरासिह उर्फ डुगरसिह पुत्र नाथीसिह उर्फ नत्थासिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जीरासिह पुत्र नाथीसिह जाति बाजीगर निवासी मसाना तहसील टी.बी. हाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 298 सन 2020 निर्णय दिनांक– 19/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 102/275 की कुल 2.5290हैक व खाता संख्या 242/248 की कुल 27.9240हैक में से 458/6981 हिस्सा व खाता संख्या 292/309 की कुल 22.8270हैक में से 3047/22827 हिस्सा भूमि में वादी का नाम जीराजसिह पुत्र नाथीसिह , डुगरसिह पुत्र नथासिह , डुगरसिह पुत्र नत्थासिह अंकित है के स्थान पर जीरासिह उर्फ डुगरसिह पुत्र नाथीसिह उर्फ नत्थासिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर